(नियम 26)

न अदालत : उपखण्ड अधिकारी मुकाम–रावतभाटा

गोपाल बनाम रमेश वगैरह

न मुकदमा विविध प्रा०पत्र नं. 07 सन् 2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस में जारी हुए
4.02 2026	पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। वकील उभय पक्ष द्वारा प्रा०पत्र O.9 R.9 CPC की बहस पर मनन किया गया। वकील प्रार्थी द्वारा बहस के दौरान निवेदन किया कि न्यायालय श्रीमान के प्र० क्र. 64/16 दिनांक 16/07/2024 को अदम हाजरी व पैरवी में खारीज हुआ था, किन्तु उक्त नियत पेशी दिनांक को वादी सामाजिक कार्यक्रम में बाहर गया था तथा अधिवक्ता अन्य न्यायालय में व्यस्त रहे हैं। अतः निवेदन है कि वादी की पत्रावली को पुनः नम्बर पर ली जाकर वादी द्वारा प्रस्तुत वाद-पत्र में सुनवाई की जावे। यदि पत्रावली नम्बर पर नहीं ली जाती है वादी का काफी नुकसान होगा जिसकी भरपाई नही की जा सकती है। जिसके जवाब में वकील अप्रार्थी द्वारा निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रा० पत्र O.9 R.9 में Content O.9 R.4 के हैं लेकिन प्रा०पत्र O.9 R.9 में पेश हुआ है। प्रार्थी सामाजिक कारण से बाहर गया था किन्तु कहाँ गया था, उन व्यक्ति से प्रार्थी का क्या रिश्ता है कुछ भी नहीं बताया गया है। और वकील कहीं व्यस्त थे तो अपने Junior के द्वारा Court को सूचित करते लेकिन ऐसा नहीं किया गया है। उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। इसमें वकील की Negligence होना प्रतीत होती है लेकिन प्रार्थी / वादी की गलती नहीं होना प्रतीत होती है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रा०पत्र का अवलोकन किया गया। पत्रावली में शामिल दस्तावेजों/ अभिलेखों का अवलोकन किया गया। अभिलेख से विदित होता है कि उपरोक्त वाद दिनांक 16/07/2024	

को प्रार्थी। प्रार्थी के अधिवक्ता की अनुपस्थिति के कारण
निरस्त/खारीज कर दिया था। अभिलेख, प्रकरण के
तथ्यों एवं प्रस्तुत आवेदन का अवलोकन करने पर यह
प्रतीत होता है कि प्रार्थी द्वारा अनुपस्थिति के संबंध में
पर्याप्त कारण दर्शाया गया है अतः न्यायहित में वाद का
गुण-दोष के आधार पर निर्णय किया जाना उचित
प्रतीत होता है। अतः प्रार्थी का प्रा०पत्र (O) 9(R) 9 CPC के
अन्तर्गत प्रस्तुत वाद बहाली आवेदन स्वीकार किये
जाने योग्य है। अतः प्रार्थी द्वारा दर्शाये गये कारणों को
दृष्टिगत रखते हुए प्रा०पत्र (O) 9 (R) 9 CPC का स्वीकार
योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। अतः इस न्यायालय
द्वारा दिनांक 16/07/2024 को निरस्त/अपास्त किया
गया वाद पुनः अपनी मूल स्थिति में बहाल (Restore)
किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्रावली फैसल
शुमार होकर दर्ज रजिस्टर से कम की जाकर मूल वाद
के साथ संलग्न का हो।

उपखण्ड अधिकारी
रावतभाटा (चित्तौड़गढ़)